

प्रेषक-

रमेश कुमार यादव
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय कक्ष सं०-२
जनपद कौशाम्बी।

सेवा में

महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा

जिला जज
कौशाम्बी

बिषय- तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी द्वारा प्रदत्त वार्षिक प्रविष्टि
2020-2021 के संदर्भ में-

महोदय,

उपरोक्त बिषय के सम्बंध में सादर निवेदन है कि तत्कालीन
जिला जज कौशाम्बी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में मेरे विरुद्ध
प्रतिकूल टिप्पणी किया गया है जिसके विरुद्ध प्रत्यावेदन माननीय
प्रशासनिक न्यायमूर्ति जनपद न्यायालय कौशाम्बी महोदय के समक्ष प्रस्तुत
करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न
प्रत्यावेदन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, जनपद न्यायालय कौशाम्बी
महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर-

दिनांक- 16.07.2021

भवदीय
R. Yadav
16.07.21

(रमेश कुमार यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय कक्ष सं०-२
कौशाम्बी।
आई.डी.नं०-5953

708/1 दिनांक 16.07.2021
धनसारित

जिला न्यायाधीश
कौशाम्बी संलग्नक: यथोपरि-
16.07.2021

प्रत्यावेदन

विषय:— तत्कालीन जिला जज, कौशाम्बी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 मे की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि के संदर्भ मे-

समक्ष,

माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति,
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में माननीय महोदय से विनम्र निवेदन के साथ प्रार्थना है कि तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे द्वारा मुझे वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 में वार्षिक प्रविष्टि प्रदान की गयी है।

(संलग्नक संख्या- 1 वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2019-2020 एवं संलग्न संख्या-2 वार्षिक प्रविष्टि 2020-2021 की प्रति)।

1. यह कि तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 मे मेरे कार्य, व्यवहार एवं आचरण के सम्बन्ध मे की गयी प्रतिकूल प्रविष्टियों/अभियुक्तियों के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तरवार कथन निम्नवत है-

वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के भाग एक के पांचवे प्रस्तर में वर्णन इस प्रकार है-

5. Place of Posting.

Remark. Kaushambi. Posting details during self assessment period . Not Available.

महोदय,

वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 मे जिला जज द्वारा अभिलिखित उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य मे सादर निवेदन है कि तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी के समक्ष मेरे द्वारा प्रेषित स्व-आंकलन प्रपत्र वर्ष 2020-2021 दिनांकित-05.04.2021 के प्रस्तर 9 में प्रोफॉर्मा नं0 09 संलग्न किये जाने का उल्लेख है। स्व-आंकलन प्रपत्र वर्ष 2020-2021 के प्रस्तर 9 के साथ संलग्न प्रोफॉर्मा नं0 09 मे वित्तीय वर्ष 2020-2021 मे मेरे द्वारा जनपद न्यायालय कौशाम्बी मे पदधारित न्यायालयों का विवरण अंकित है, जिसके



अनुसार प्रविष्टि अवधि दिनांक-01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य में दिनांक-01.04.2020 से 06.08.2020 तक न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस. सी/एस.टी. एक्ट तथा दिनांक-07.08.2020 से 31.03.2021 तक प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी के पद पर कार्यरत था।

(संलग्नक संख्या-3 स्व-आंकलन प्रपत्र वर्ष 2020-2021 एवं संलग्नक संख्या-4 स्व-आंकलन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रोफॉर्मा नं0 9 की छाया प्रति)।

उपरोक्त संलग्नकों से स्पष्ट है कि प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में मेरे द्वारा जनपद न्यायालय कौशाम्बी में पदधारित न्यायालयों का विवरण संलग्न किया गया है, अतः इस खण्ड में तत्कालीन जिला जज द्वारा कौशाम्बी में स्व-आंकलन की समयवधि में जनपद न्यायालय कौशाम्बी में कार्य करने से सम्बंधित विवरण उपलब्ध न होने के सम्बंध में किया गया कथन असत्य है। प्रविष्टि में उल्लिखित उपरोक्त कथन से यह साबित होता है कि तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी ने मेरे द्वारा प्रेषित स्व-आंकलन प्रपत्र वर्ष 2020-2021 का अवलोकन नहीं किया है।

2. यह की वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के प्रस्तर 01 Remarks given by the District Judge के उपरान्त विभिन्न प्रस्तरों में अभिलिखित कथन व प्रदत्त प्रविष्टि का विवरण निम्नवत है -

1.(a) Integrity of the Officer- whether beyond doubt, doubtful or positively lacking?

Note- If the officer's integrity is doubtful or positively lacking, it may be so stated with all relevant fact, reason(s) & supporting material.

Remark- Positively lacking. (S.T.No. 315/2012 U.P. State Vs. Taiyab Jafri and others, Crime No. 120/2012 u.s. 147,302,201,120B IPC, P.S. Puramufti, District Kaushambi) In the above case, oral complaint has been made by the complainant and his counsel but no written



complaint has been made due to fear of the Officer, as the officer has threatened the complainant.

महोदय,

इस प्रविष्टि के संदर्भ में माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि जनपद न्यायालय कौशाम्बी में प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 दिनांक-01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य में दिनांक-01.04.2020 से 06.08.2020 तक न्यायालय अपर जिला जज /विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी. एक्ट तथा दिनांक-07.08.2020 से 31.03.2021 तक प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी के पद पर कार्यरत था जहाँ अनेक सत्र परीक्षणीय वाद विचाराधीन थे। संदर्भित सत्र परीक्षण संख्या 315/2012, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम तैयब जाफरी एवं अन्य, अपराध सं०-120/2012, धारा 147.302,201,120बी भा०दं०सं० थाना पूरामुफ्ती जिला कौशाम्बी का प्रकरण वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 दिनांक-01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य मेरे द्वारा पदधारित न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी. एक्ट अथवा न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी में से किस न्यायालय से सम्बन्धित है तथा उक्त वाद की अद्यतन स्थिति क्या है ? इसका कोई विवरण न तो जिला जज की प्रविष्टि में उल्लिखित है और न ही उक्त प्रकरण में मेरे विरुद्ध की गयी कथित मौखिक शिकायत का कोई विशिष्ट तथ्य प्रविष्टि के साथ संलग्न है।

उक्त प्रविष्टि से यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता कि संदर्भित सत्र परीक्षण के वादी अथवा अभियुक्तगण में से किस पक्षकार एवं उसके किस अधिवक्ता द्वारा जिला जज से मौखिक शिकायत की गयी थी तथा यह भी स्पष्ट नहीं होता शिकायतकर्ता अथवा उसके अधिवक्ता ने किस विषय विशेष पर जिला जज से मेरे विरुद्ध कथित मौखिक शिकायत किया था।

यह कहना गलत है कि मैंने कथित शिकायतकर्ता अथवा उसके अधिवक्ता को धमकाया था। जिला जज किसी भी न्यायालय से किसी भी पत्रावली का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। यदि कथित शिकायतकर्ता अथवा कथित शिकायतकर्ता के अधिवक्ता को संदर्भित प्रकरण में मुझसे किसी प्रकार की कथित शिकायत रही होती तो संदर्भित प्रकरण का सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में पत्रावली के स्थानान्तरण हेतु जिला जज से निवेदन



किया गया होता तथा उक्त कथित शिकायत के आधार पर जिला जज कौशाम्बी के द्वारा अर्द्ध-प्रशासकीय पत्र अथवा मौखिक रूप से पीठासीन अधिकारी के रूप में मुझसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया होता। जिला जज द्वारा संदर्भित प्रकरण में मुझसे न ही मौखिक और न ही अर्द्ध-प्रशासकीय पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। जिला जज के द्वारा कथित शिकायत के आधार पर मुझसे स्पष्टीकरण दिये जाने की अपेक्षा न किये जाने तथा शिकायतकर्ता अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा संदर्भित पत्रावली का स्थानांतरण सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में किये जाने हेतु जिला जज से निवेदन न किये जाने तथा कथित शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेकर संदर्भित पत्रावली को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में स्थानांतरण हेतु जिला जज द्वारा आदेश पारित न किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि कपोलकल्पित आधारों पर बिना किसी तथ्य व साक्ष्य के मेरी निष्ठा को प्रश्नांकित किया गया है।

इस प्रविष्टि के परिप्रेक्ष्य में जिला जज के द्वारा मुझे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इस प्रविष्टि में संदर्भित कथित मौखिक शिकायत का कथन, तथ्य एवं साक्ष्य से समर्थित नहीं है। बीस वर्षों की सतत न्यायिक सेवा में रहते हुये मेरे द्वारा पारित किसी भी न्यायिक विनिश्चय/निर्णय के विरुद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी प्रकार की कभी कोई टिप्पणी करके मुझे संसूचित नहीं किया है। मैंने अपनी बीस वर्षों की सतत न्यायिक सेवा में ईमानदारी, सत्य एवं निष्ठा के साथ न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुये न्यायिक विनिश्चय किये हैं। उपरोक्त के आधार पर जिला जज द्वारा इस खण्ड में प्रदत्त प्रविष्टि एवं की गई अभियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

1. (b) If he is fair and impartial in dealing with the public and Bar?

Remark. No.

महोदय,

इस प्रविष्टि के सम्बंध में माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में बार एसोसिएशन के किसी अधिवक्ता अथवा



जनता के किसी नागरिक ने मेरे विरुद्ध कोई शिकायत जिला जज से नहीं किया है और न ही जिला जज ने मुझसे इस सम्बंध में कभी कोई लिखित अथवा मौखिक स्पष्टीकरण ही प्राप्त किया है। आम जन-मानस एवं बार एसोसिएशन के साथ निष्पक्ष रहकर मैंने अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन किया है। जिला जज की इस खण्ड में प्रदत्त प्रविष्टि किसी तथ्य अथवा साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

1. (c) If he is cool minded and does not lose temper in court.

Remark. No. He keeps fire-arm openly on dias and tried to show-off the same.

महोदय,

इस प्रविष्टि के सन्दर्भ मे माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि जनपद न्यायालय के किसी भी कर्मचारी, वादकारी, बार एसोसिएशन कौशाम्बी के किसी अधिवक्ता अथवा अन्य किसी के द्वारा मुझे अग्नेयास्त्र खुलेआम डायस पर लेकर बैठने तथा उसे दिखाने के सम्बंध में जिला जज से शिकायत किये जाने के सम्बंध मे कोई कथन प्रविष्टि मे नहीं किया गया है, और न ही इस तथ्य का कोई प्रमाण प्रविष्टि के साथ संलग्न है। मैंने अग्नेयास्त्र लेकर कभी न्यायालय कक्ष मे प्रवेश नहीं किया, अतः डायस पर अग्नेयास्त्र लेकर बैठने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैंने सदैव शान्त मन से पूरे संयम के साथ न्यायालय मे अपने न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन किया है। इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई अभियुक्ति किसी तथ्य अथवा साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

1. (f) Whether Judgement on facts and on law are on the whole sound, well-reasoned and expressed in good language?:

Remark. No.



1. (f) (i) Marshalling of facts;

Remark. (i) Judgements by the officer have been delivered without marshalling of facts.

1. (f) (ii) Application of evidences;

Remark- (ii) Judgements by the officer have been delivered without through and proper scrutiny of evidence on record.

1. (f) (iii) Application of law.

Remark. (iii) Finding are not based upon evidence and law.

महोदय,

उपरोक्त प्रविष्टि के संदर्भ में सादर निवेदन है कि स्व-आकलन प्रपत्र वर्ष 2020-2021 के साथ मेरे द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 149/2016, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कंचन, मु0अ0सं0 107/2016 धारा, 302,201 भा0दं0सं0 थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशाम्बी में पारित निर्णय दिनांकित-26.02.2021, सत्र परीक्षण संख्या 10/2017, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम योगेश सिंह, मु0अ0सं0 244/2016 धारा, 302 भा0दं0सं0, थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी में पारित निर्णय दिनांकित-25.02.2021, सत्र परीक्षण संख्या 77/2019, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय उर्फ संजू आदि, मु0अ0सं0 40/2019 धारा, 302/34 भा0दं0सं0, थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशाम्बी में पारित निर्णय दिनांकित-01.01.2021 की प्रतियाँ संलग्न की गयी हैं, जिसे इस प्रत्यावेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है।

(संलग्नक संख्या-5 सत्र परीक्षण संख्या 149/2016, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कंचन, मु0अ0सं0 107/2016 धारा, 302,201 भा0दं0सं0 थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशाम्बी में पारित निर्णय दिनांकित-26.02.2021 ,
संलग्नक संख्या-6 सत्र परीक्षण संख्या 10/2017, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम योगेश सिंह, मु0अ0सं0 244/2016 धारा, 302 भा0दं0सं0, थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी में पारित निर्णय दिनांकित-25.02.2021, एवं
संलग्नक संख्या-7 सत्र परीक्षण संख्या 77/2019, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय उर्फ संजू आदि, मु0अ0सं0 40/2019 धारा, 302/34



भा0दं0सं0, थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशाम्बी मे पारित निर्णय दिनांकित-01.01.2021की छाया प्रतियों)।

उपरोक्त प्रकरणों मे पारित निर्णय के साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-2021 मेरे द्वारा पारित समस्त न्यायिक विनिश्चय कम्प्यूटर पर अपलोड किये गये है।

इस सम्बंध में तत्कालीन जिला जज द्वारा न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी का दिनांक-17.02.2021 को किये गये वार्षिक निरीक्षण मे किया गया उल्लेख प्रासंगिक है। जिला जज ने न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी का दिनांक-17.02.2021 को किये गये वार्षिक निरीक्षण के पृष्ठ 15 पर वर्णित तथ्य इस प्रकार है-

“ 35 ए ता डी. पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने को पूरे दिन व्यस्त रखने हेतु पर्याप्त कार्य प्रतिदिन नियत किया गया है और प्रतिदिन पर्याप्त कार्य किये जाने का प्रयास किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावलियों में विधि पूर्वक सुनवाई करके सम्यक कार्यवाही की गयी है।.....। ”

(संलग्नक संख्या- 8 जिला जज द्वारा न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी का दिनांक-17.02.2021 को किये गये वार्षिक निरीक्षण की छाया प्रति)।

जिला जज द्वारा न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी का दिनांक-17.02.2021 को किये गये वार्षिक निरीक्षण मे पत्रावलियों मे सुनवाई करके सम्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में अभिलिखित उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि मेरे द्वारा पत्रावलियों मे विधिपूर्ण सुनवाई की जाती रही है।

उल्लेखनीय है कि स्व-आंकलन प्रपत्र वर्ष 2019-2020 (संलग्न संख्या-1) के साथ मेरे द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-411/2010 उत्तर प्रदेश राज्य प्रति संतोष कुमार मु0अ0सं0-31/1997, धारा-323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा-3 (1)(x) एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना, मंझनपुर



जनपद कौशाम्बी मे पारित निर्णय दिनांक-01.10.2019, व दो अन्य न्यायिक निर्णय संलग्न करके तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे के समक्ष प्रेषित किया गया था। स्व-आंकलन प्रपत्र वर्ष 2019-2020 के साथ संलग्न सत्र परीक्षणीय निर्णय के लेखन का स्वरूप उसी भाँति का है जिस प्रकार वर्ष 2020-2021 स्व-आंकलन प्रपत्र के साथ संलग्न न्यायिक निर्णयों मे है। तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री विवेक कुमार दुबे ने वर्ष 2019-2020 मे मेरे द्वारा पारित निर्णयों के सम्बंध मे अभियुक्ति निम्नवत किया है-

1. (f) Whether Judgment on facts and on law are on the whole sound, well-reasoned and expressed in good language?:

Remark. Yes.

1. (f) (i) Marshalling of facts;

Remark. (i) Judgements by the officer have been delivered after good marshalling of facts.

1. (f) (ii) Appreciation of evidences;

Remark. (ii) Judgements by the officer have been delivered after thorough scrutiny of evidence on record.

1. (f) (iii) Application of law.

Remark. Finding are based upon evidence on record and applicable laws supported by cogent reasons.

स्व-आंकलन प्रपत्र वर्ष 2020-2021 के साथ दृष्टांत स्वरूप संलग्न उक्त प्रकरणों में मेरे द्वारा पारित निर्णय से स्पष्ट है कि मैंने वाद के तथ्यों को समेकित करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करके निर्णय पारित किया है तथा विधि का सम्यक समावेश करके निर्णय मे निष्कर्ष दिया है। अतः वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के प्रस्तर 1. (f) (i), 1. (f) (ii), तथा 1. (f) (iii) मे जिला जज द्वारा किया गया आंकलन व की गई अभियुक्ति बने रहने योग्य नहीं है।

1. (g) Whether disposal of work is adequate. (Give percentage and reasons for short disposal, if any)

Remark. No. Against the Target Unit of 204.88 the Officer has done 153.85 units of work i.e. output is 75.09 %. According to explanation of the Officer----"As per Hon'ble High Court's Guidelines regarding Covind-19, protocol & closure of courts from 23-03-2020 to 12-8-2020 recording of evidence and final disposal of cases were not possible. Due to above mentioned reasons target unit was not achieved.

महोदय,

इस प्रविष्टि के सम्बंध मे सादर निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में टारगेट यूनिट 204.88 के सापेक्ष मेरे द्वारा 153.85 यूनिट अर्थात् 75.09 प्रतिशत कार्य किया गया है। टारगेट यूनिट के सापेक्ष कार्य न होने का स्पष्टीकरण मेरे द्वारा स्व-आकलन पत्र में अभिलिखित किया गया है, जिस पर जिला जज ने किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं किया है। बिगत बीस वर्षों की सतत न्यायिक सेवा मे मैंने सदैव टारगेट यूनिट से अधिक यूनिट का कार्य किया है। स्पष्टीकरण मे वर्णित तथ्यों के कारण वित्तीय वर्ष 2020-2021 मे टारगेट यूनिट के सापेक्ष कार्य नहीं हुआ है।

1. (h) Control over the Office and Administrative capacity and tact:

Remark. Not proper.

महोदय,

इस सम्बंध में तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी द्वारा दिनांक-17.02.2021 को न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी का किये गये वार्षिक निरीक्षण, संलग्नक संख्या- 8 मे किया गया उल्लेख प्रासंगिक है। जिला जज कौशाम्बी ने मेरे द्वारा पदधारित न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी का दिनांक-17.02.2021 को किये गये वार्षिक निरीक्षण के पृष्ठ 15 पर यह कथन किया है कि-

‘पीठासीन अधिकारी का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण न्यायालय एवं

कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों पर है।'

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी का दिनांक-17.02.2021 को किये गये वार्षिक निरीक्षण में अभिलिखित उपरोक्त कथन से साबित है कि न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों पर मेरा पूर्ण प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण होना तत्कालीन जिला जज द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई अभियुक्ति बने रहने योग्य नहीं है।

1. (i) Relations with members of the Bar(mention incidents, if any):

Remark. Derogatory and limitless.

महोदय,

सादर निवेदन है कि बार एसोसिएशन कौशाम्बी के किसी सदस्य/अधिवक्ता ने मेरे द्वारा उनसे दुर्व्यवहार किये जाने अथवा व्यवहार उचित न होने से सम्बन्धित किसी घटना का उल्लेख इस प्रविष्टि में जिला जज ने नहीं किया है। बार एसोसिएशन के किसी सदस्य/अधिवक्ता के साथ मैंने कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। बार एसोसिएशन के सदस्यों, अधिवक्ता का मैंने सदैव सम्मान किया है, उनसे हमारा सम्बंध सदैव सौहार्दपूर्ण रहा है। इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई अभियुक्ति किसी तथ्य व साक्ष्य से समर्थित नहीं है। अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

1. (j) Behaviour in relation to brother Officers(mention incidents, if any):

Remark. Derogatory and limitless.

महोदय,

सादर निवेदन है कि न्यायालय में कार्यरत किसी भी न्यायिक अधिकारी से मेरे द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने सम्बंधी किसी घटना का उल्लेख इस प्रविष्टि में जिला जज ने नहीं किया है। जनपद न्यायालय कौशाम्बी में कार्यरत किसी भी न्यायिक अधिकारी के साथ मैंने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया है और न ही किसी न्यायिक अधिकारी से मेरे



सम्बंध खराब रहे। इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई अभियुक्ति किसी तथ्य व साक्ष्य से समर्थित नहीं है। अतः इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई अभियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

1. (I) His punctuality and regularity in sitting on the dais in court during court hours?

Remark. No. The officer is habitually late-comer and used to left the court before court-hours. He used to fill the daily-sitting wrongly, despite the fact that he is advised several times, orally.

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में मेरे न्यायालय आने, विश्राम कक्ष तथा न्याय कक्ष में बैठने के सम्बंध में डेली सिटिंग की छाया प्रति संलग्नक के रूप में प्रत्यावेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है।

(संलग्नक संख्या-9 डेली सिटिंग की छाया प्रति)।

उल्लेखनीय है कि प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में कोविड-19 के काल में 01.04.2020 से इस जनपद से स्थानांतरण की तिथि दिनांक-15.09.2020 तक की अवधि में तत्कालीन जिला जज ने सभी न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति हेतु पृथक रजिस्टर बनवाया था तथा अपने समक्ष न्यायिक अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाते थे।

न्यायालय आने, विश्राम कक्ष तथा न्यायालय में बैठने के सम्बंध में डेली सिटिंग के अवलोकन से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में न्यायालय के कार्य दिवसों पर न्यायालय आने, विश्राम कक्ष तथा न्यायालय में बैठने के समय से सम्बन्धित डेली सिटिंग पर जिला जज/उनके निर्देशाधीन अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित है। डेली सीटिंग के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय के प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक न्यायालय में उपस्थित रहकर मैंने अपने न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन किया है। न्यायालय में समय से न आने, न्यायालय कार्यावधि के पूर्व न्यायालय छोड़ने अथवा गलत ढंग से डेली सिटिंग

भरने के सम्बंध में जिला जज ने मुझसे कभी भी मौखिक रूप से कोई शिकायत नहीं किया और न ही अर्द्ध-प्रशासकीय पत्र के माध्यम से मुझे चेतावनी ही दिया है। इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई अभियुक्ति तथ्य एवं साक्ष्य के प्रतिकूल है। अतः इस खण्ड में जिला जज द्वारा किया गया प्रतिकूल कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

1. (m) Whether amenable to the advice of the District Judge and other superior officers?

Remark. No.

महोदय,

सादर निवेदन है कि वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में जिला जज द्वारा ऐसी किसी घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य संलग्न किया है जो इस तथ्य को स्थापित कर सके कि जिला जज अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी के सुझाव का मैंने जानबूझकर अनादर किया था। विगत बीस वर्षों की सतत न्यायिक सेवा के दौरान किसी भी जिला जज ने उनके अथवा वरिष्ठ अधिकारियों साथ मेरे द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने अथवा उनके सुझाव का अनादर करने के सम्बंध में कभी कोई टिप्पणी नहीं किया है। न्यायिक सेवा में रहते हुये मैंने अपने सम्मानित जिला जजों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के उचित सुझाव का सदैव आदर किया है। इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई अभियुक्ति का समर्थन किसी घटना के तथ्य व साक्ष्य से नहीं होता। अतः इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई प्रतिकूल अभियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

3. State of Health, with remarks, if any?

Remark. Not good. The Officer takes leaves (Casual Leave, Earned Leave and Medical Leave) on the ground of ill-health.

महोदय,

सादर निवेदन है कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी में मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया जिसके कारण दिनांक-27.11.2020 से 13.12.2020 तक संघरोग अवकाश पर था। पुनः पोस्ट कोविड-19 संक्रमण



की बीमारी से आयी कमजोरी के कारण स्वास्थ्य लाभ हेतु मेरे द्वारा दिनांक-05.05.2019 से 19.05.2021 तक अर्जित अवकाश एवं दिनांक-09.06.2021 से 04.07.2021 तक चिकित्सक की सलाह पर चिकित्सा अवकाश लिया गया है। संयुक्त जिलाचिकित्सालय कौशाम्बी मे दिनांक-05.07.2021 को मेरा चिकित्सीय परीक्षण किया गया तथा चिकित्सक द्वारा मुझे कार्य करने हेतु स्वस्थ होने के सम्बंध मे स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

(संलग्न संख्या-10 संयुक्त जिलाचिकित्सालय कौशाम्बी के चिकित्सक के चिकित्सीय परिसाक्ष्य दिनांकित-08.06.2021, संलग्न संख्या-11 चिकित्सीय परिसाक्ष्य दिनांकित-24.06.2021 एवं संलग्न संख्या-12 संयुक्त जिलाचिकित्सालय कौशाम्बी के चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र दिनांकित-05.07.2021 की छाया प्रति)।

संयुक्त जिला चिकित्सालय कौशाम्बी के चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि मैं कार्य करने हेतु पूर्णतया स्वस्थ हूँ। मुझे वर्तमान समय में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। मैं पूर्णतया शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होकर अपने न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। मेरे अवकाश पर रहने की परिस्थितियाँ स्पष्ट हैं। अतः इस खण्ड मे जिला जज द्वारा की गयी प्रतिकूल अभियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

4- यह की वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के स्तम्भ 4 मे विभिन्न खण्डों मे अभिलिखित कथन तथा जिला जज द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों के सम्बंध मे प्रस्तरवार आख्या निम्नवत है-

The Officer is indisciplined, discourteous and great player of victim cards.

महोदय,

सादर निवेदन है कि तत्कालीन जिला जज ने इस खण्ड में बिना किसी तथ्य व साक्ष्य के मुझे अनुशासनहीन, अवज्ञाकारी तथा विक्टिम कार्ड प्लेयर होना दर्शाया है। मैं एक न्यायिक अधिकारी हूँ, कोई कार्ड प्लेयर नहीं हूँ। एक न्यायिक अधिकारी को जिला जज द्वारा विक्टिम कार्ड प्लेयर कहा जाना उचित नहीं है। जिला जज द्वारा मुझे विक्टिम कार्ड



प्लेयर के रूप में अभिहित किया जाना आपत्तिजनक है।

He leaves the station regularly with or without permission, despite the fact that Type-V Residence has been allotted to him. In his above residence, he allowed an out-sider single lady to reside, about which oral objections were raised by Advocates and Public.

महोदय,

सादर निवेदन है कि जिला जज ने बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने के सम्बंध में कोई साक्ष्य प्रविष्टि के साथ संलग्न नहीं किया है।

कोविड-19 की बीमारी व महामारी से बचाव हेतु मेरा पूरा परिवार मेरे पैतृक गृह जनपद प्रयागराज स्थित ग्राम अंजना, पोस्ट सैदाबाद, तहसील हंडिया में निवास कर रहा है। कोविड-19 के काल में अपने पैतृक आवास पर जाने हेतु मैंने सदैव नियमानुसार प्रार्थना पत्र देकर तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय को छोड़ा है।

मैं तीन पुत्रियों, जिनमें से एक विवाहित एवं दो अविवाहित तथा एक पुत्र का पिता हूँ। जनपद न्यायालय कौशाम्बी के परिसर में कुल 6 नग न्यायिक अधिकारी आवास निर्मित है, जिसमें से दो आवास भूतल पर, दो आवास प्रथम तल पर तथा दो आवास द्वितीय तल पर निर्मित है। उक्त आवासों का अवांटन करते समय मेरी वरिष्ठता को नजर अंदाज करके दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुझे द्वितीय तल पर स्थित जे-5 आवास तत्कालीन जिला जज द्वारा अवांटित किया गया है जिसमें मैं सपरिवार आवासित हूँ।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री विवेक कुमार दुबे ग्राम- चाँदोपारा, विकास खण्ड- सैदाबाद, जनपद प्रयागराज के मूल निवासी हैं तथा मेरा पैतृक गृह निवास ग्राम-अंजना, विकास खण्ड- सैदाबाद, जनपद प्रयागराज में है। ग्राम सभा चाँदोपारा से लगी हुई ग्राम सभा- देवली में मेरी ससुराल है। तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे का घर मेरे ग्राम सभा अंजना से लगभग 12 किमी० दूर



है। श्री विवेक कुमार दुबे तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी का मेरी ग्राम सभा से संलग्न ग्राम सभाओं में अनेक रिश्तेदारियाँ हैं। तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे मेरे परिवार के सभी सदस्यों से परिचित हैं। जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी में मेरे सगे ज्येष्ठ भ्राता श्री कमलेश कुमार यादव की पुत्री डा० अर्चना यादव चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

(संलग्नक संख्या-13 डा० अर्चना यादव की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रमाण की छाया प्रति)।

मेरी सगी भतीजी डा० अर्चना यादव का परिवार के सदस्य के रूप में मेरे शासकीय आवास जे-5 मंझनपुर कौशाम्बी पर आना-जाना निरंतर होता रहता है। मेरी सगी भतीजी को 'आउट साइडर लेडी' के रूप में सम्बोधित करते हुये मेरी वार्षिक प्रविष्टि माननीय न्यायालय को प्रेषित की गयी है जो आपत्तिजनक है। जिला जज श्री विवेक कुमार दुबे के इस स्तम्भ में उक्त प्रकार की टिप्पणी से मुझे घोर मानसिक पीडा हुई है, जिस पर माननीय महोदय द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाना आवश्यक है।

The officer used to send unwarranted, derogatory and limitless whatsapp messages/ messages through his mobile number and through some unknown mobile number.

महोदय,

प्रविष्टि में किये गये उपरोक्त कथन के सम्बंध में माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि जिला जज कौशाम्बी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के साथ ऐसा कोई अभिलेखीय प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि मेरे द्वारा अपने अथवा किसी अज्ञान नम्बर से जिला जज को अवांक्षनीय मैसेज/व्हाट्सअप मैसेज भेजा गया है। जिला जज द्वारा इस स्तम्भ में की गयी टिप्पणी किसी साक्ष्य से समर्थित नहीं है। अतः जिला जज कौशाम्बी द्वारा इस स्तम्भ में की गयी टिप्पणी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

During Covid-19 pandemic period, every kind of

incooperation was made by the Officer, intentionally.

महोदय,

कोविड-19 महामारी के काल में माननीय न्यायालय तथा जिला जज के आदेश के आधीन मेरे द्वारा अपने न्यायिक कर्तव्य का सम्यक् निर्वहन किया गया है। कोविड-19 महामारी के काल में अपने न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन में मैंने सदैव जिला जज का सहयोग किया है। बार एसोसिएशन के किसी भी अधिवक्ता अथवा वादकारी ने महामारी काल में मेरे द्वारा रूचि लेकर न्यायिक कार्य न करने का कोई अभियोग नहीं लगाया है। जिला जज ने इस खण्ड में अभियुक्ति बिना किसी तथ्य अथवा साक्ष्य के अभिलिखित किया है।

He also played dramatic character/role and different types of indiscipline (Administrative Order No. 89 dated 26-4-2021 Administrative Order No. 70 dated 26-3-2021 Report of Central Nazir dated 23-4-2021, Administrative order No. 107 dated 03-05-2021, Report of Central Nazir dated 07-06-2021 Administrative Officer dated 25-06-2021, Administrative Order No 162 dated 29-06-2021) and created several types of problem for the Judgeship, during that period, while at that time there was acute shortage of Judicial Officers.

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रविष्टि में उल्लिखित जिला जज के Administrative Order No. 89 dated 26-4-2021 Administrative Order No. 70 dated 26-3-2021 Report of Central Nazir dated 23-4-2021, Administrative order No. 107 dated 03-05-2021, Report of Central Nazir DATED 07-06-2021 Administrative Officer dated 25-06-2021,



Administrative Order No 162 dated 29-06-2021 प्रविष्टि के साथ संलग्न नहीं है। उपरोक्त वर्णित प्रशासकीय आदेशों, प्रशासनिक अधिकारी तथा केन्द्रीय नाजिर की आख्या के बावत प्रथम बार जानकारी मुझे चिकित्सा अवकाश से दिनांक-05.07.2021 को वापस मुख्यालय आने पर ई-सर्विस पोर्टल पर संदर्भित प्रविष्टि उपलब्ध होने के सम्बंध में कम्प्यूटर अनुभाग से जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त वार्षिक प्रविष्टि डाउन लोड किये जाने पर हुई।

प्रविष्टि में उल्लिखित विभिन्न प्रशासनिक आदेशों, प्रशासनिक अधिकारी तथा केन्द्रीय नाजिर की आख्या न्यायालय के कार्यालय में प्राप्त होने के सम्बंध में मेरे द्वारा रीडर न्यायालय अपर जिला जज कक्ष सं0 2 कौशाम्बी से आख्या आहूत की गयी।

(संलग्नक संख्या- 14, रीडर, न्यायालय अपर जिला जज कक्ष सं0 2 कौशाम्बी के आख्या की प्रति)।

न्यायालय अपर जिला जज कक्ष सं0 2 कौशाम्बी के रीडर ने अपनी आख्या में स्पष्ट किया है कि जिला जज के प्रशासकीय आदेश संख्या 89 दिनांकित-26.04.2021 के अतिरिक्त प्रविष्टि में उल्लिखित अन्य कोई प्रशासकीय आदेश, प्रशासनिक अधिकारी तथा केन्द्रीय नाजिर आख्या न्यायालय के कार्यालय को नहीं हुई है।

प्रशासकीय आदेश संख्या 89 दिनांकित-26.04.2021 में दिनांक-23.04.2021 एवं 26.04.2021 को मेरे न्यायालय में उपस्थित न आने पर टिप्पणी की गयी है, जिसके सम्बंध में माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि दिनांक-27.04.2021 को न्यायालय वापस आने पर मेरे द्वारा दिनांक-23.04.2021 एवं 26.04.2021 के लिए आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने के लिए जिला जज कौशाम्बी को प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे जिला जज द्वारा स्वीकार किया गया है।

जनपद न्यायालय कौशाम्बी का प्रशासनिक कार्यालय तथा नजारत अनुभाग जिला जज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। मैं इस जनपद न्यायालय में कभी प्रभारी अधिकारी नजारत नहीं रहा हूँ। प्रविष्टि में उल्लिखित उपरोक्त विभिन्न प्रशासनिक आदेशों, प्रशासनिक अधिकारी तथा केन्द्रीय नाजिर की आख्या के सम्बंध में जिला जज कौशाम्बी



के द्वारा मुझसे कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है। पुनःप्रविष्टि में उल्लिखित प्रशासकीय आदेश संख्या-70 दिनांकित-26.03.2021 के अतिरिक्त अन्य प्रशासकीय आदेश , प्रशासनिक अधिकारी तथा केन्द्रीय नाजिर के आख्या का सम्बंध वार्षिक प्रविष्टि वर्ष-2020-2021 से नहीं है। अतएव जिला जज द्वारा प्रविष्टि में उपरोक्त प्रशासकीय आदेशों, प्रशासनिक अधिकारी तथा केन्द्रीय नाजिर की आख्या के सम्बंध में कथन अवांक्षनीय है।

Officer has very bad reputation amongst advocates, litigants and society.

महोदय,

उपरोक्त कथन के सम्बंध में सादर निवेदन है कि वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के खण्ड 01 (d) के निम्न कथन-

His private character is such as to lower him in the estimation of the public and adversely affects the discharge of his official duties?

के संदर्भ में जिला जज ने अभियुक्ति के स्तम्भ में No लिखा है।

बार एसोसिएशन कौशाम्बी के अधिवक्तागण, वादकारियों तथा समाज में मेरी ख्याति खराब होने का कोई भी प्रमाण न तो प्रविष्टि के साथ संलग्न है और न ही दृष्टांत स्वरूप किसी प्रकार का विशिष्ट कथन प्रविष्टि में जिला जज ने अंकित किया है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि कभी किसी अधिवक्ता, वादकारी अथवा समाज के किसी सदस्य ने मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत जिला जज अथवा माननीय न्यायालय से किया है। वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के खण्ड 01 (d) में जिला जज ने स्वतः यह स्वीकार किया है कि मेरा चरित्र ऐसा नहीं है जो जनता के मध्य मेरे पद की गरिमा को दूषित करता है अथवा न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन को प्रभावित करता है। अतः जिला जज द्वारा इस खण्ड में मेरे विरुद्ध की गयी टिप्पणी निरस्त किये जाने योग्य है।



The officer does not deserve to continue in this great and pious judicial service.

महोदय,

प्रविष्टि मे किये गये उपरोक्त कथन के सम्बंध मे माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि तत्कालीन जिला जज द्वारा सेवा मे मेरे बने रहने के संदर्भ मे की गई अभियुक्ति गलत व अवांक्षनीय है।

एक जिला जज से अपेक्षित होता है कि वह न्यायालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के मध्य समान विचार धारा से समान व्यवहार करेगा तथा किसी भी न्यायिक अधिकारी अथवा कर्मचारी के मध्य भेदभाव नहीं करेगा। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि जनपद न्यायालय कौशाम्बी में तत्समय कार्यरत अपर जिला जज श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री राजीव रंजन एवं श्री प्रमोद कुमार चतुर्थ का स्थानांतरण इस वर्ष गैर जनपद में हो गया। स्थानांतरण के फलस्वरूप उक्त अधिकारीगण की जनपद न्यायालय से दिनांक-12.04.2021 को विदाई हो गयी तथा उक्त अधिकारीगण अपने स्थानांतरित जिलों मे चले गये। उनके चले जाने के बाद दिनांक-19.04.2021 को जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे ने अपने व्यक्तिगत मोबाइल नं0 9670688283 से व्हाट्सअप ग्रुप मैसेज से एक पत्र पोस्ट किया जो मुझे अपने व्यक्तिगत मो0 नं0 8881804123 पर प्राप्त हुआ।

तत्कालीन जिला जज श्री विवेक कुमार दुबे के ग्रुप मैसेज के कथन इस प्रकार हैं-

“प्रिय

प्रमोद !

कललेश !

राजीव !

सच तो यह है कि जब से आप लोग गये हैं, मैं बहुत अन्मयस्क रहता हूँ और छोटी छोटी बात पर बिलावजह कोधित हो जाता हूँ, यानी अपने को नियन्त्रित या संतुलित नहीं कर पा रहा हूँ।

ये सब बातें मेरे मूल स्वभाव के विपरीत हैं। आने वाले नए अधिकारी भी मेरी इस स्थिति को समझते रहें और मुझे नैतिक बल देते हुए, मुझसे सहानुभूति रखें क्योंकि मुझे यह अपराध बोध भी हो रहा है कि वर्तमान समय, परिस्थितियों व दशा के कारण, मैं नये जजेज के साथ अपना नैतिक कर्तव्य व धर्म नहीं निभा पा रहा हूँ। पिछले दो वर्षों से एक एक



दिन, एक माह की तरह लगे लेकिन अब एक एक दिन, एक एक वर्ष की भांति लग रहे हैं।”

(संलग्नक संख्या-15, जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे द्वारा अपने व्यक्तिगत मोबाइल नं० 9670688283 से प्रकाशित व्हाट्सअप ग्रुप मैसेज की छाया प्रति)।

उपरोक्त वर्णित ग्रुप मैसेज में अंकित कथन इस तथ्य का परिचायक है कि उक्त न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद तत्कालीन जिला जज श्री विवेक कुमार दुबे का मानसिक संतुलन उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक-30.06.2021 तक ठीक नहीं रहा।

जिला कचेहरी में प्रचलित सूचना यह रही है कि उक्त अवधियों में वह मुख्यालय पर अपने शासकीय आवास पर बने रहे तथा प्रविष्टि में दर्शित प्रशासकीय आदेशों से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन जिला जज ने अपने शासकीय आवास पर रह कर दिनांक-28.06.2021 तक कुल 162 प्रशासकीय आदेश निर्गत किये हैं।

जनपद न्यायालय परिसर में यह चर्चा आम रही कि उक्त अधिकारीगण के स्थानांतरित हो जाने के बाद दिनांक-12.04.2021 से 30.06.2021 को सेवा निवृत्त होने की तिथि तक तत्कालीन जिला जज श्री विवेक कुमार दुबे अपने पदीय कर्तव्य के अनुरूप न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन हेतु जनपद न्यायालय में नहीं आये। उक्त अवधियों में उनके द्वारा न्यायालय आकर न्यायिक कार्य संपादित किये जाने के सम्बंध में माननीय महोदय द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है। तदहेतु जनपद न्यायालय कौशाम्बी में लगाये गये सी.सी.टी.वी. कैमरे का अवलोकन तथा न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अधिवक्तागण से भी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

जो न्यायिक अधिकारी मुख्यालय पर शासकीय आवास में रहकर तीन माह तक न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन हेतु न्यायालय न आये तथा वेतन आहरित करे तो यह कहा जा सकता है कि ऐसे न्यायिक अधिकारी ने निष्ठापूर्वक अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है।



अवलोकन से स्पष्ट है न्यायिक गरिमा के अनुरूप अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे द्वारा न करने के कारण उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक-30.06.2021 को बार एसोसिएशन कौशाम्बी के पदाधिकारी तथा अधिवक्तागण उनसे इतना कुपित व क्रोधित थे कि जनपद न्यायालय के मुख्य द्वार पर अधिवक्ताओं ने उनका पुतला दहन किया तथा चकमण करके उनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाया जिसके कारण वह अपने न्यायिक कार्य के अंतिम दिवस पर भी न्यायालय में प्रवेश नहीं कर सके तथा उन्हें अपने शासकीय आवास से बिना विदाई पुलिस सुरक्षा में अपने गृह जनपद जाना पड़ा।

(संलग्नक संख्या-16 दैनिक समाचार आज में प्रकाशित समाचार दिनांकित-01.07.2021 की प्रति)।

उपरोक्त के सम्बंध में समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्य, तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे का बार एसोसिएशन कौशाम्बी के सदस्यों व अधिवक्ताओं से उनके सम्बंध तथा उनके मध्य उनकी कार्य शैली को प्रमाणित करता है।

जिला जज कौशाम्बी के सेवानिवृत्ति होने की तिथि दिनांक-30.06.2021 को चिकित्सा अवकाश पर रहने के बावजूद जनपद न्यायालय कौशाम्बी में कार्यरत वरिष्ठ अपर जिला जज के निर्देश पर कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी के अवाहन पर सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ मैं उनके शासकीय आवास पर अपहरान्ह 2:15 बजे पहुंचा। अधिकारियों के साथ उनके शासकीय आवास पहुंचने पर जिला जज ने किसी भी न्यायिक अधिकारी से मिलने से मना कर दिया। एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं होती अपने दरवाजे पर बुला करके अपने कनिष्ठ न्यायिक अधिकारियों का अपमान करें। तत्कालीन जिला जज श्री विवेक कुमार दुबे का उक्त व्यवहार यह दर्शित करता है कि उनका जनपद न्यायालय कौशाम्बी में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारियों के मध्य समान नहीं रहा।

तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे को मुझे सेवा में बने रहने योग्य न होने के सम्बंध में अभियुक्ति अभिलिखित करने का नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त वर्णित तथ्य एवं



परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति जिला जज श्री विवेक कुमार दुबे सेवानिवृत्ति के उपरांत सेवा से सम्बन्धित लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, फिर भी मैं उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूँ।

विशिष्ट कथन

महोदय,

सादर निवेदन के साथ अवगत कराना है कि जिला जज कौशाम्बी के पद पर कार्यरत रहते हुये श्री विवेक कुमार दुबे द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 की प्रविष्टि भी मुझे प्रदान की गयी है, जिसकी प्रति माननीय महोदय के सुलभ अवलोकन हेतु संलग्नक संख्या-1 के रूप में इस प्रत्यावेदन के साथ सादर संलग्न किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रविष्टि मे तत्कालीन जिला जज द्वारा जिन स्तम्भों/खण्डों मे प्रतिकूल प्रविष्टि/अभियुक्ति अभिलिखित की गयी है उसके सापेक्ष वर्ष 2019-2020 मे उनके द्वारा प्रदत्त प्रविष्टि एवं की गई अभियुक्ति का विवरण इस प्रकार है-

1.(a) Integrity of the Officer- whether beyond doubt, doubtful or positively lacking?

Remark. Beyond doubt.

1. (b) If he is fair and impartial in dealing with the public and Bar?

Remark. Yes.

1. (c) If he is cool minded and does not lose temper in court.

Remark. Yes.

1. (f) Whether Judgment on facts and on law are on the whole sound, well-reasoned and expressed in good language?:

Remark. Yes.

1. (f) (i) Marshalling of facts;

Remark. (i) Judgements by the officer have been delivered

offer good marshalling of facts.

1. (f) (ii) Appreciation of evidences;

Remark. (ii) Judgements by the officer have been delivered after thorough scrutiny of evidence on record.

1. (f) (iii) Application of law.

Remark. Finding are based upon evidence on record and applicable laws supported by cogent reasons.

1. (h) Control over the Office and Administrative capacity and tact:

Remark . Very effective.

1. (i) Relations with members of the Bar(mention incidents, if any):

Remark . Courteous and impartial.

1. (j) Behavior in relation to brother Officers(mention incidents, if any):

Remark. Very Good.

1. (l) His punctuality and regularity in sitting on the dais in court during court hours?

Remark. The Officer is punctual and regular in sitting on dais in courts during court hours.

1. (m) Whether amenable to the advice of the District Judge and other superior officers?

Remark. Yes.

2. Over all assessment of the merit of the officer (Outstanding, Very Good, Good, Average, Poor)

Remark. Very Good.

3. State of Health, with remarks, if any?

Remark. The Officer has Good health.

4. Other remarks, if any;

Remark. The officer is well disciplined, courteous and obedient.

तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे द्वारा वर्ष 2019-2020 की उपरोक्त वार्षिक प्रविष्टि माननीय न्यायालय को प्रेषित की गयी तथा तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, जनपद न्यायालय कौशाम्बी महोदय ने मेरी प्रविष्टि इस प्रकार अभिलिखित किया है-

Overall assessment- Outstanding.

Integrity- Certified.

उल्लेखनीय है कि इस जनपद मे जिला जज के रूप मे कार्यरत रहते हुये श्री विवेक कुमार दुबे का स्थानांतरण पीठासीन अधिकारी कामर्शियल ट्रेड टैक्स ट्रिब्यूनल आगरा के लिए हो जाने के फलस्वरूप दिनांक-15.09.2020 को उनके द्वारा जिला जज का पदभार मुक्त किया गया। कामर्शियल ट्रेड टैक्स ट्रिब्यूनल आगरा से पुनः श्री विवेक कुमार दुबे का स्थानांतरण जिला जज कौशाम्बी के रूप मे माननीय न्यायालय द्वारा किया गया तथा दिनांक-07.02.2021 को जिला जज के रूप मे श्री विवेक कुमार दुबे द्वारा पदभार ग्रहण किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 मे मेरे द्वारा न्यायिक कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित विभागों का प्रभार सौपा गया था-

- (i) O/C Administration.
- (ii) Chairman Infrastructure sub committee.
- (iii) O/C Litigation committee.
- (iv) Chairman Grievance committee.
- (v) Member S.C.M.S. committee.
- (vi) Member Promotion/Seniority committee.
- (vii) Member Action Plan committee.
- (viii) Central Information Officer.
- (ix) Human Right Jurisdiction.
- (x) Ex- Officio Member Selection committee.
- (xi) Ex-Officio Member District Level Family Court committee.



दिनांक-15.09.2020 को जनपद न्यायालय कौशाम्बी से तत्कालीन जिला जज श्री विवेक कुमार दुबे के स्थानांतरण के उपलक्ष्य में विदाई का समारोह न्यायिक अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया था। उक्त विदाई समारोह में अपरिहार्य कारणवश मैं उपस्थित नहीं हो सका। अतः दिनांक-07.02.2021 को जिला जज कौशाम्बी का पुनः पदभार ग्रहण करने के उपरान्त तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे ने विदाई समारोह दिनांकित-15.09.2020 में मेरे सम्मिलित न होने से क्षुब्ध होकर O/C Administration को छोड़ कर सारे प्रभार मुझसे ले लिया। (संलग्नक संख्या-17 कार्य वितरण आदेश दिनांकित 07.02.2021 की प्रति)।

उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय के पत्र संख्या-336/Infrastructure Cell दिनांकित-02 जुलाई 2011 में जनपद न्यायालय में कार्यरत वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को Infrastructure Cell का प्रभारी होने का उपबंध किया गया है। दिनांक-07.02.2021 को मैं इस जनपद में सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत था किन्तु तत्कालीन जिला जज ने माननीय न्यायालय की व्यवस्था के प्रतिकूल मुझसे Infrastructure Cell का प्रभार वापस लेकर मुझसे कनिष्ठ तथा अपने चहेते न्यायिक अधिकारी को सौंप दिया गया। न सिर्फ इतना अपितु मेरे साथ सम्बद्ध आशुलिपिक, ऑफिस प्यून तथा अर्दली को भी हटा दिया गया। यह सब कुछ न्यायिक अधिकारियों के समक्ष मुझे नीचा दिखाने तथा मुझे हैरान और परेशान करने के लिए किया गया।

पदभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक-07.02.2021 के उपरान्त तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे का व्यवहार मेरे प्रति दुराग्रहपूर्ण रहने लगा जिसके कारण कोविड-19 काल में पैतृक गृह निवास ग्राम अंजना पोस्ट सैदाबाद, जनपद प्रयागराज मेरे पूरे परिवार के निवासरत रहने की अवधि में मेरे द्वारा मुख्यालय छोड़ने हेतु अनुमति से अभिप्रेत प्रार्थना पत्र दिनांक-04.05.2021 को जिला जज को दिया गया जिसे जिला जज द्वारा युक्तियुक्त आधार के बिना अस्वीकार कर दिया गया।



(संलग्नक संख्या-18, प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.05.2021 एवं उसपर पारित आदेश की प्रति)।

दिनांक-04.05.2021 को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र जिला जज द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने के फलस्वरूप मेरे द्वारा कोविड-19 के समाप्त होने की अवधि तक पैतृक आवास से नित्य न्यायालय आने व जाने हेतु माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिनांक-04.05.2021 को जरिये जिला जज कौशाम्बी प्रेषित किये जाने हेतु जनपद न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय को प्रदान किया गया। माननीय न्यायालय को प्रेषित उक्त प्रार्थना पत्र तत्कालीन जिला जज द्वारा अग्रसारित न किये जाने का कथन सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री दिनेश यादव द्वारा किया गया।

(संलग्नक संख्या-19, माननीय न्यायालय को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक-04.05.2021 की छाया प्रति)।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपने सेवानिवृत्त होने की तिथि दिनांक-30.06.2021 तक तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी मुझसे व्यक्तिगत विद्वेष रखते थे तथा मानसिक अवसाद की दशा में रहते हुये वर्ष 2019-2020 में प्रदत्त प्रविष्टि के प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में सम्भावित सभी खण्डों में युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करके अनुचित अभियुक्तियों अभिलिखित किया है।

कदाचित अधीनस्थ न्यायपालिका का मैं ऐसा एकल दुर्भाग्यशाली न्यायिक अधिकारी हूँ जिसे निर्दोष होने के बावजूद जिला जज के कोप भाजन का शिकार होना पड़ा है।

उल्लेखनीय है कि मेरी वार्षिक प्रविष्टि दिनांक-28.06.2021 को तत्कालीन जिला जज द्वारा माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया है जबकि माननीय न्यायालय के-C.L.No. 07/2014/Cf.(C)Allahabad दिनांकित 04-03-2014 के अनुसार जिला जज द्वारा वार्षिक प्रविष्टि 15 अप्रैल तक सम्प्रेषित किया जाना तथा प्रतिकूल प्रविष्टि से सम्बन्धित को संसूचित किया जाना आज्ञापक है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त सर्कुलर लेटर में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप जिला जज

कौशाम्बी द्वारा वर्ष 2020-2021 के लिए मेरी वार्षिक प्रविष्टि 15 अप्रैल 2021 तक माननीय न्यायालय को प्रेषित किया नहीं किया गया है तथा उक्त प्रविष्टि मे मेरे विरुद्ध की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि से मुझे संसूचित भी नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मेरी वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 माननीय न्यायालय को प्रेषित करने मे तत्कालीन जिला जज ने माननीय न्यायालय के आज्ञापक प्राविधान का उल्लंघन किया है।

इस जनपद में अब तक न्यायिक कार्य करने के दौरान मेरी सत्य निष्ठा को प्रश्नांकित करते हुये एक भी पत्र किसी भी वादकारी, कर्मचारी अथवा अधिवक्तागण ने कभी न ही जिला जज को और न ही माननीय न्यायालय को दिया है। एक न्यायिक अधिकारी के रूप मे मैंने सदैव ईमानदारी, सत्य एवं निष्ठा के साथ अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन किया है। विगत बीस वर्षों की सतत् न्यायिक सेवा मे रहने के दौरान मेरे द्वारा पारित न्यायिक विनिश्चयों/निर्णयों के विरुद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी प्रकरण मे प्रतिकूल टिप्पणी करके मुझे संसूचित नहीं किया है। स्वतः जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे ने वर्ष 2019-2020 की वार्षिक प्रविष्टि मे मेरे कार्य, व्यवहार एवं आचरण के सम्बंध मे किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणीयुक्त अभियुक्ति नहीं किया है। तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति जनपद न्यायालय कौशाम्बी ने वर्ष 2019-2020 की वार्षिक प्रविष्टि मे सम्पूर्ण आकलन Outstanding तथा सत्य निष्ठा को Certified किया है।

मेरा तथा मेरे परिवार की एक सामाजिक प्रतिष्ठा है। जिला जज की हैसियत से श्री विवेक कुमार दुबे ने मेरे द्वारा प्रेषित स्व-आकलन प्रपत्र वर्ष 2020-2021 का अवलोकन किये बिना तथा दृष्टांत स्वरूप संलग्न न्यायिक विनिश्चयों पर मत स्थिर किये बिना क्षेत्रीय राजनीति से प्रेरित होकर मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं छवि को धूमिल करने तथा मेरी अग्रेतर न्यायिक सेवा को प्रभावित करने के लिए मुझे सुनवाई का अवसर दिये बिना विद्वेषपूर्वक, मानसिक अवसाद की दशा मे बिना किसी तथ्य एवं साक्ष्य को अभिलिखित किये मनमाने तौर पर तथाकथित कपोलकल्पित मौखिक शिकायत के आधार पर दुर्भावना से ग्रसित होकर मेरा समग्र मूल्यांकन Poor अभिलिखित करते हुये मेरी सत्य निष्ठा को



प्रश्नांकित करके माननीय न्यायालय के सर्कुलर लेटर के प्रतिकूल प्रश्नगत प्रविष्टि माननीय न्यायालय को प्रेषित किया है जिसके बने रहने से मेरी अग्रेतर न्यायिक सेवा का प्रभावित होना अवश्यम्भावी है। अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियों में मेरा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये श्रीमान जिला जज कौशाम्बी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में मेरे विरुद्ध की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि एवं अभियुक्तियों निरस्त किया जाना न्यायहित में तथा न्यायिक अधिकारी की गरिमा को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु परमावश्यक है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि जिला जज कौशाम्बी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में मेरे विरुद्ध की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि तथा की गई अभियुक्तियों को निरस्त करते हुये समुचित प्रविष्टि प्रदान करने की कृपा करें।

सादर-

आपका आज्ञाकारी



(रमेश कुमार यादव)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

न्यायालय कक्ष सं०-2

कौशाम्बी।

आई.डी.नं०-5953

दिनांक-16.07.2021

संलग्नक-यथोपरि।